

प्रेस नोट दिनांक 04.11.2020

1. दिनांक 03.11.20 को वादी उ0नि0 श्री कन्हैया यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अरूण मिश्र पुत्र राममिलन मिश्र नि0 भाईपुर थाना पूराकलन्दर आदि 07 नफर अभि0गण द्वारा गोवंशीय पशुओं को निर्दयतापूर्वक मारना पीटना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 609/20 धारा 11 पशु कु0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 03.11.20 को वादी उ0नि0 मनोज कुमार सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि निर्भय सिंह उर्फ मोनू सिंह पुत्र विजय प्रताप सिंह नि0 कुम्हिया थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर बरामद होना जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 470/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 03.11.20 को वादी उ0नि0 रबीश कुमार यादव थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि महबूब पुत्र अहमद नि0 43/56 चम्पर बन्धौ का मुहल्ला घाटगेट जयपुर राजस्थान आदि 03 नफर सभी गिर0 अभि0गण द्वारा धोखाधड़ी करके रुपये की हार जीत का सट्टा लगाकर जुआ खेलना मौके से 02 अदद कापी, 02 पेन, मालफड 5920 रू0 व जामातलाशी के 6600 रू0 बरामद होना जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 452/20 धारा 3/4 जुआ अधि0 व 419, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 03.11.20 को वादी श्री रामप्रताप पुत्र आशाराम नि0 वजीरगंज थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं0 यूपी53 बीटी 3884 मारुति कार का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के पिता आशाराम की मो0सा0 में टक्कर मार देना जिससे दौरान इलाज मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 453/20 धारा 279, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 03.11.20 को वादी श्री देशराज रावत पुत्र पुत्तिलाल नि0 पूरे बढई मजरे खण्ड पिपरा थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि महेन्द्रा टैक्टर 265 डीआई का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए वादी के भाई की मो0सा0 में टक्कर मार देना जिससे दौरान इलाज मृत्यु हो जाना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 220/20 धारा 279, 304ए, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।